

~~12~~ / HP [2.40 PM
18/3/17] / R.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

~~April
18/3/17~~

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रारूप-2क)

(दखें नियम-4)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन.....2014

नीचे भाग-I या भाग-II, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें
भाग-I

(मान्यत प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ३५ सालाराम अ० श० संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम.....रमेश पाठवार

पिता/माता/प्रति का नाम.....कृष्ण रमेश पाठवार

उसका डाक पता ग्राम पो० - तरिया, भला-सालाराम १६००००-हैला

उसका नाम २०४ सालाराम किरान उमर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग
सं०-३५ में क्रम सं० ४०२ पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम २०५ मो० नर्दिन शाह है जो ३५ सालाराम अ० श०
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट २०५ मो० नर्दिन शाह विधान
सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०-१३४ में क्रम सं० ५२४
पर प्रविष्ट है।

मेरा नामशाह

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

तारीख.....18. 03. 2014

भाग—II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि लोक सभा के निर्वाचन के लिए
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/माता/पुति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*
(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं0— में
क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम संपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर :-

क्र0 सं0	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तरीख
	घटक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्या	उस भाग में क्रम सं0			
1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	:					
10						

कृप्या ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं0—एस0ओ0558 (ई0) दिनांक 09.08.96 द्वारा प्रतिस्थापित

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग—III

मैं, भाग—I/भाग-II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अधिकारी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ
औरघोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने ५४ वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
(नीचे ख (i) या ख (ii) में से जो लागू न हो उसे काट दें)

या

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में आरक्षीपञ्चायती दल द्वारा खड़ा किया गया है जो इस राज्य में
मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में अंडमान निकोबार दल दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत
अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अधिकारी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) और
मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) अंडमान (ii) निकोबार (iii) अंडमान
निकोबार हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पुत्रि का नाम ऊपर जाति/जनजाति (भाशा के नाम) में सही रूप
से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जनकारी और वि वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ
और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो

राज्य के उस राज्य में के संसदीय क्षेत्र (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित।

**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए एक साथ निर्वाचन कराए जा रहे आम
निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकारी के रूप में *** नामनिर्देशित किया गया है और
न ही किया जाएगा।

तारीख 18.03.2014

(अधिकारी का हस्ताक्षर)

‘जम्मू-कश्मीर, अंदमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में ‘मैं
समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र’ शब्दों को काट दें।

+ यदि लागू न हो तो इस कठिका को काट दें।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

*** लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

@ जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की
दशा में लागू नहीं होगा।

‘मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल’ से अभिप्रेत है निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग
द्वारा संबंध संघ में मान्यता प्राप्त संघनीतिक दल।

‘लागू न होने वाले शब्दों को काट दें

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

भाग—III (क)

(अम्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अम्यर्थी को —

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 के की

(क) उपचारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

हों/नहीं

(ख) उपचारा (2) में विनिर्दिश्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दण्डित किया गया है।

यदि उत्तर "हो" मे है, तो अम्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) वाद / प्राथमिकी संख्या २१०५

(ii) थाना(थाने) २१०५ जिला(जिले) २१०५

राज्य ९२०२

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस / उन अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था। २१०५

(iv) सिद्धदोष ठहराए जाने की तारीख (तारीखों) २१०५

(v) अम्यर्थी को सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय २१०५

(vi) अधिरोपित दंड कारावास की अवधि और/या जुमाने की रकम का उल्लेख करें २१०५

vii) कारावास से विमुक्ति की तारीख(तारीखों) २१०५

(viii) क्या उपर्युक्त सिद्धदोष (सिद्धदोषों) के विरुद्ध कोई अपील / पुनरीक्षण आवेदन दायर की गई थी २१०५
हों/नहीं

(ix) दायर किए गए अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ २१०५

(x) उस न्यायालय(न्यायालयों) के नाम जिसके / जिनके समक्ष अपील / पुनरीक्षण -आवेदन दायर किए हों २१०५

(xi) क्या उक्त अपील / पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) का निष्पादन हो गया है / अभी लंबित है २१०५

(xii) यदि उक्त अपील / पुनरीक्षण-आवेदन निष्पादित हो गए हों तो—?

(क) निष्पादन की तारीख(तारीखों) २१०५

(ख) पारित आदेश (आदेशों) का स्वरूप २१०५

स्थान: २१०३०२

तारीख: १८.०३.२०१६

(अम्यर्थी का हस्ताक्षर)

भाग-IV

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन—पत्र का क्रमांक 12

यह नामनिर्देशन—पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 18/03/14 (तारीख) को 240 (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 18/03/2014

रिटर्निंग आफिसर

*लागु न होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-V

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ—

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

भाग-VI

नामनिर्देशन पत्र के लिए पावती रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं012 का, जो **34—सासाराम (आजाठ)** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 18/03/14 (तारीख) की 240 47 (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदृष्ट किया गया। सभी नामनिर्देशन—पत्रों की संवीक्षा 21/03/14 (तारीख) को 11 (बजे) समाहरणालय, केंद्र (भूमुआ) निर्वाची वदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ में की जाएगी।

तारीख 18/03/2014

रिटर्निंग आफिसर

COURT अधिकृत या प्रतिज्ञान के प्राप्ति प्राप्ति 15/3/2014
(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क)) BIHAR
(संसदीय क्षेत्र निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप निर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची अद्वा और निष्ठा रखूँगा और भारत की संप्रभूता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/ श्रीमती *देवी* पा०१००१८
आज दिनांक *18* माह *३* वर्ष 2014 को *महान् विजय*
स्थान) पर बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा रखूँगा और
प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

शपथ-प्रपत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र
(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जायेगा)
प्रमाणित किया जाता है कि लोक सभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी *देवी* पा०१००१८
(नाम) ने (दिनांक) *18/03/14* बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा अपेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया
और उस पर हस्ताक्षर किए।

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

APPNDIX VII C

STATEMENT OF SUMMARY OF PARTICULARS/ INFORMATION FURNISHED IN AFFIDAVITS
 (CHAPTER III PARA 4.5(3.1)

No. & Name of Constituency: 34 SASARAM S.C

S.No	Particulars	Description
1	Candidate's Name	CHHEDI PASWAN
2	Father's / Mother's / Husband's Name	LATE RAMCHANDRA PASWAN
3	Age	58 years
4	Educational Qualification	M.A.
5	Convicted (yes)/(no) if yes, then list of section (s)	NO.
6	Cases Pending (yes)/ (no) if yes, then list of Sections (s)	NO.
7	Assets Moveable Immovable	
8	Liabilities / Overdues of Public Financial Institutions and Government dues.	NILL



Signature of Candidate

Date: 18.03.2014

PLACE: Bhadra

REQUEST FORM

For contact details of candidates standing in
Parliamentary/ Assembly Elections. 2009

- 1- No. and Name of Parliamentary/ Assembly Constituency: 34, SASARAM S.C.
- 2- Full name of candidate : AHMED PASWAN
- 3- Sex : Male
- 4- Age : 58 years
- 5- Party : Bharatiya Janata Party
(mention independent if not set-up by political party)
- 6- City/ area of native place : Takriya Begur Sasaram
Please enter your contact details below : Bihar-Rajbir Bihar
- 7- Full address :
- 8- Landline phone no. :
- 9- Mobile phone no. : - 9934774600
- 10- Email address (if any) :
- 11- Website address (if any) :

Check List of documents in connection with filing of nomination

Name of Constituency:
Name of candidate:
Date and time of filing nomination paper:
Sl. No. of nomination paper

S.No	Documents	Whether filed (write yes/no) (if there is any defect/ shortcoming in the documents. the same should be specified)
1	Affidavit in Form 26.... (a) Whether all columns are filled up. (b) if not, which are blank column(s) (Please specify): (c) Whether the affidavit is sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of First Class or before a Notary Public.	
2	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	
3	Forms A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties.)	
4	Copy of caste certificate (if the candidate claims to belong to SC/ST)	
5	Security deposit (whether made)	
6	Oath / affirmation (whether taken)	

The following documents which have not been filed should be filed as indicated below:

- (a).....should be filed latest by
- (b) above mentioned columns in the affidavit in Form 26 have been left blank. You must submit a fresh Affidavit will columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.
- (c)should be filed latest by.....

Received.

.....

Signature of RO/ ARO

(Signature of candidate)

Date;

PLACE:

N.B

1. The affidavit in Form 26 and Forms A &B have to be filed latest byP.M on the last date of filing nominations.
2. The nomination paper will be rejected if a candidate fails to fill the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
3. Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
4. Certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
5. Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.